15.6.22

सं0सं0: निग / सारा(पथ)—15—वि0का0—05—01 / 2020 ...2193(S)

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग।
अधिसूचना

रांची, दिनांक :— 14/06/22

कार्य विभागों में प्रभृत अनुसूचित दरों में असमानता एवं निविदित दर से 10% से भी नीचे Quote किए गए दर पर बिना मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किए ही निविदा आवंटित किए जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या 266(एस), दिनांक 25.01.2020 के द्वारा श्री रास बिहारी सिंह, तदेन प्रभारी अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या 984(एस), दिनांक 18.03.2020 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जिसका जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों में से दो आरोपों को प्रमाणित एवं एक आरोप को अंशतः प्रमाणित किए जाने के आधार पर उनसे दण्ड अधिरोपित किए जाने के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

2. विभाग में अभियंताओं की कमी को दृष्टिगत् रखते हुए श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। श्री सिंह की निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के अंतिम फलाफल के समय निर्णय लिया जाएगा।

3. श्री सिंह पदस्थापन हेतु पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची में योगदान समर्पित करेंगे।

Sri Rajesh 15/06/22

उपर्युक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कु0 सिंह 14/06/22
(अजीत कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : निग / सारा(पथ)—15—वि0का0—05—01 / 2020 2194(S) राँची, दिनांक : 14/06/22

प्रतिलिपि :—अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अजीत कु0 सिंह 14/06/22
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : निग / सारा(पथ)—15—वि0का0—05—01 / 2020 2194(S) राँची, दिनांक : 14/06/22

प्रतिलिपि :—महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखण्ड, राँची / उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अजीत कु0 सिंह 14/06/22
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : निग / सारा(पथ)—15—वि0का0—05—01 / 2020 2194(S) राँची, दिनांक : 14/06/22

प्रतिलिपि :—प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अजीत कु0 सिंह 14/06/22
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : निग / सारा(पथ)—15—वि0का0—05—01 / 2020 2194(S) राँची, दिनांक : 14/06/22

प्रतिलिपि :—सभी अभियंता प्रमुख / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अजीत कु0 सिंह 14/06/22
सरकार के अवर सचिव।

E:\office\Office PC Backup\RCD Files ALL\New Data 2022\Notification new 2022.docd

21) ई॰ सेल

ज्ञापांक : निग/सारा(पथ)–15–वि0का0–05–01/2020 2194(S) रांची, दिनांक : 14/06/22

प्रतिलिपि :–सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 14, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री रास बिहारी सिंह, निलंबित प्रभारी अभियंता प्रमुख, मुख्यालय– पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अजीत कु0 सिंह 14/06/22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : निग/सारा(पथ)–15–वि0का0–05–01/2020 2194(S) रांची, दिनांक : 14/06/22

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अजीत कु0 सिंह 14/06/22

सरकार के अवर सचिव।

14/06/2022

सं0सं0: निग / सारा(पथ)–15–वि0का0–05–01 / 2020 ....2193(S)

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग।
अधिसूचना

रांची, दिनांक :– 14/06/22

कार्य विभागों में प्रभृत अनुसूचित दरों में असमानता एवं निविदित दर से 10% से भी नीचे Quote किए गए दर पर बिना मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किए ही निविदा आवंटित किए जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या 266(एस), दिनांक 25.01.2020 के द्वारा श्री रास बिहारी सिंह, तदेन प्रभारी अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या 984(एस), दिनांक 18.03.2020 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जिसका जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों में से दो आरोपों को प्रमाणित एवं एक आरोप को अंशतः प्रमाणित किए जाने के आधार पर उनसे दण्ड अधिरोपित किए जाने के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

2. विभाग में अभियंताओं की कमी को दृष्टिगत् रखते हुए श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। श्री सिंह की निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के अंतिम फलाफल के समय निर्णय लिया जाएगा।

3. श्री सिंह पदस्थापन हेतु पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची में योगदान समर्पित करेंगें।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कु0 सिंह 14/06/2022
(अजीत कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : निग / सारा(पथ)–15–वि0का0–05–01 / 2020 2194(S) रांची, दिनांक : 14/06/22

प्रतिलिपि :–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अजीत कु0 सिंह 14/06/2022
सरकार के अवर सचिव।
14/06/2022